अध्याय–10

कोयला क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

10.1 कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों का ऐतिहासिक विकास

10.1.1 भारत सरकार द्वारा कोकिंग कोयला खान, (आपातकालीन उपबंध) अध्यादेश दिनांक 16.10.1971 को जारी किया गया था जिसके तहत " टिस्को " तथा "इस्को " की केप्टिव खानों को छोड़कर सभी कोकिंग कोयला खानों का प्रबंध सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। अधिगृहीत खानों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. की सहायक कंपनी के रूप में एक नई कंपनी भारत कोकिंग कोल लि. का गठन किया गया। इन खानों का बाद में दिनांक 1.5.1972 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद, दिनांक 31.1.1973 से सरकार द्वारा 711 कोयला खानों का प्रबंधन भी अपने अधीन ले लिया गया तथा इनका 1.5.1973 को राष्ट्रीयकरण किया गया और नान–कोकिंग कोयला खानों के प्रबंधन के लिए मई, 1973 में सरकार द्वारा कोयला खान प्राधिकरण लि. (सीएमएएल) नामक नई कंपनी स्थापित की गई, जिसका मुख्यालय कोलकाता में था। सीएमएएल की स्थापना डिविजनल पैटर्न पर एकात्मक संरचना के रूप में की गई, जिसके अंतर्गत चार प्रभाग आते हैं अर्थात केंद्रीय प्रभाग, पूर्वी प्रभाग, पश्चिमी प्रभाग तथा सीएमपीडीआईएल। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों को सीएमएएल के केंद्रीय प्रभाग के अधीन लाया गया। सितंबर

कोल इंडिया लिमिटेड के 38वें स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय कोयला मंत्री श्री श्रीप्रकाश जयसवाल के साथ सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार श्री एस.के. श्रीवास्तव, सीएमडी कोल इंडिया लि. श्री एस. नरसिंह राव, सलाहकार (कोयला) मंत्रालय, भारत सरकार श्री अलोक परती

1975 में कोल इंडिया लि. का गठन एक धारक कंपनी के रूप में किया गया जिसकी पांच सहायक कंपनियां थीं अर्थात भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल), सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) और सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इस्टीच्यूट लि.(सीएमपीडीआईएल)।

10.1.2 सीसीएल और डब्ल्यूसीएल ग्रुप की खानों के लिए निर्धारित उत्पादन और निवेश में प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए तथा इन कंपनियों के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए दैनिक, प्रशासनिक, तकनीकी तथा संचार की समस्याओं की दृष्टि से 28.11.1985 से दो और सहायक कंपनियों अर्थात नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का गठन किया गया।

10.1.3 उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों को 8वीं और 9वीं योजना अवधि में वृद्धि का केंद्र मानकर उड़ीसा कोलफील्डों की संभावनाओं पर विचार करते हुए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.(एसईसीएल) का विभाजन करके एक नई कंपनी बनाई गई। नई कंपनी, महानदी कोलफील्ड्स लि. दिनांक 3 अप्रैल, 1992 को निगमित की गई, जिसका मुख्यालय संबलपुर (उड़ीसा) में हैं जो उड़ीसा में तलचर एवं ईब–वैली कोलफील्ड्स के प्रबंधन के लिए पूर्ण रूप से कोल इंडिया लि. के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

10.1.4 कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की धारक कंपनी के रूप में 8 सहायक कंपनियां हैं, जिनके नाम हैं – भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल), सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.(एसईसीएल) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल), महानदी कोलफील्ड्स लि. एमसीएल) और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इस्टीच्युट लि. (सीएमपीडीआईएल)। सीएमपीडीआईएल, एक इंजीनियरी, डिजाइन और अन्वेषण कंपनी है, जिसकी स्थापना कोयले की संदर्श योजनाओं को तैयार करने, परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, देश में कोयले के भंडारों को सुनिश्चित करने के लिए अन्वेषण तथा ड्रिलिंग शुरू करने तथा वास्तविक खनन कार्य के लिए परियोजनाएं तैयार करने के संबंध में विस्तृत आंकड़े तैयार करने के लिए की गई है। कोल इंडिया लि. की अन्य 7 सहायक कंपनियां कोयला उत्पादक कंपनियां हैं। एमसीएल की 70 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत इक्विटी होल्डिंग के साथ दो सहायक कंपनियां नामतः एमएनएच शक्ति लिमिटेड तथा एमजेएसजे कोल लि.है। इसके अलावा, सीआईएल की मोजाम्बिक में एक विदेशी कंपनी कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड (सीआईएएल) है।

10.1.5 कोल इंडिया लि. तथा इसकी सभी सहायक कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित हैं तथा 90 प्रतिशत शेयर केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और 10 प्रतिशत शेयरों का दिनांक 04.11.2010 को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से विनिवेश कर दिया गया है। असम और उसके पड़ोसी क्षेत्रों की कोयला खानों का नियंत्रण नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स इकाई के अंतर्गत सीधे सीआईएल द्वारा किया जाता है।

10.2 कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियां

10.2.1 निदेशक बोर्ड

कोल इंडिया लि. एक धारक कंपनी है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसका प्रमुख अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है। सीआईएल एक महारत्न कंपनी है, सीआईएल के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की सहायता के लिए 4 कार्यकारी निदेशक हैं अर्थात निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कार्मिक और औद्योगिक संबंध), निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (विपणन)। प्रत्येक सहायक कंपनी का अलग – अलग निदेशक मंडल है और इसके प्रमुख अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। इसके अलावा, सभी सात उत्पादक कंपनियों अर्थात भा.को.को.लि., ई. को.लि., ना.को.लि., व.को.लि., सा.ई.को.लि., म. को.लि. और से.को.लि. में चार कार्यकारी निदेशक अर्थात निदेशक (कार्मिक), निदेशक (वित्त), निदेशक (आयोजना और परियोजनाएं) और निदेशक (तकनीकी) हैं। सीसीएल, एनसीएल, एमसीएल, एसईसीएल तथा डब्ल्यूसीएल को मिनीरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इस्टीच्यूट लि. के निदेशक मंडल में 4 कार्यकारी निदेशक हैं, जिनके पदनाम हैं – निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कोयला उत्पादन और उपयोग), निदेशक (आयोजना एवं डिजाइन) तथा निदेशक

कोल इंडिया लिमिटेड के 38वें स्थापना दिवस के दौरान सभा को संबोधित करते, माननीय कोलया मंत्री श्री श्रीप्रकाश जयसवाल

(अनुसंधान, विकास और टेक्नोलॉजी)। इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों के बोर्डें में कई अंशकालिक अथवा स्वतंत्र निदेशक हैं जिनकी नियुक्ति कंपनी के संगम अनुच्छेद और इस संबंध में समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाती है।

10.2.2 प्राधिकृत शेयर पूंजी

31.3.2012 को कोल इंडिया लि. की प्राधिकृत शेयर पूंजी 8,904.18 करोड़ रू. थी। प्राधिकृत शेयर पूंजी का विभाजन निम्नानुसार है :

(i)	प्रत्येक 1000/– रू. के 90,41,800 असंचयी 10% विमोच्य अधिमान शेयर	904.18 करोड़ रू.
(ii)	प्रत्येक 10/– रू. के 8000000000 इक्विटी शेयर	8000.00 करोड़ रू.
	जोड़	**8904.18 करोड़ रू.**

31.03.2012 को कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी

(क) कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी इस प्रकार है :–

सहायक कंपनी	प्राधिकृत शेयर पूंजी (करोड़ रू.में)
भारत कोकिंग कोल लि.	2,500.00
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लि.	800.00
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	1,100.00
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	2,500.00
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	1,400.00
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1,300.00
महानदी कोलफील्ड्स लि.	500.00
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीच्युट लि.	50.00

(ख) कोल इंडिया लि. की विदेशी सहायक कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी

विदेशी सहायक कंपनी	प्राधिकृत शेयर पूंजी (मेटीकेयस/यूएसडी)
कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा	25000 मेटीकेयस (लगभग 1000 यूएसडी)

10.2.3 कोल इंडिया लिमिटेड (मुख्यालय)

10.2.3.1 कोल इंडिया लि. मुख्य रूप से जिन कामों के लिए उत्तरदायी है, वे हैं कारपोरेट उद्देश्य निर्धारित करना, दीर्घावधि योजना, संरक्षण, अनुसंधान और विकास, उत्पादन, बिक्री, वित्त, भर्ती, प्रशिक्षण, सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, मजदूरी, सभी प्रचालन मामलों से संबंधित सामग्री, भूमि का अधिग्रहण करना, कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, सुरक्षा मानकों का अनुरक्षण करना, औद्योगिक संबंध में सुधार करना आदि।

10.2.3.2 उपर्युक्त कार्य के अतिरिक्त नई तथा चालू परियोजनाओं को आरंभ करना, जनशक्ति प्रबंधन, उत्पादन, उपभोक्ता संतुष्टि आदि है। इसके अलावा, सहायक कंपनियां राज्य सरकारों के साथ संपर्क साधने जैसे संबंधित कार्यों का निष्पादन करती हैं। उत्तर–पूर्वी राज्यों में कोयला खानों का विकास तथा दोहन और समस्त देश में फैले हुए कोयला विपणन नेटवर्क से संबंधित कार्य कोल इंडिया लि. के सीधे नियंत्रण में है।

10.2.4 कोल इंडिया लि. के संयुक्त उद्यम

(I) सीआईएल और एनटीपीसी के बीच संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 27 अप्रैल, 2010 से सीआईएल और एनटीपीसी के बीच सीआईएल एनटीपीसी उर्जा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी नामक एक नए संयुक्त उद्यम कंपनी को निगमित किया गया है। सीआईएल और

एनटीपीसी के बीच यह एक 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 10 करोड़ रू. और प्रदत्त पूंजी 5 लाख रू. है। सीआईएल एवं एनटीपीसी द्वारा 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार सीआईएल एनटीपीसी उर्जा प्राइवेट लिमिटेड में शेयर होल्डिंग पैटर्न नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	विवरण	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	% इक्विटी
1.	एनटीपीसी लि.	25000	50.00
2.	कोल इंडिया लि.	25000	50.00
	कुल	50000	100

संयुक्त उद्यम का मुख्य उद्देश्य कोयला खनन और बिजली उत्पादन आदि का कार्य करना है।

(II) एमसीएल का संयुक्त उद्यम

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लि. के इस समय दो संयुक्त उद्यम नामतः गोपाल प्रसाद ओसीपी (15.00 मि.ट. प्रतिवर्ष) और तालाबरिया ओसीपी (20.00 मि.ट.प्रतिवर्ष) हैं। इस प्रयोजन के लिए 3 संयुक्त उद्यम कंपनियां बनायी गई हैं।

ये तीन संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं :

(i) एमजेएसजे कोल लि.

एमजेएसजे कोल इंडिया लि. को 13 अगस्त, 2008 को एमसीएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। गोपाल प्रसाद ओसीपी के लिये एमजेएसजे कोल लि. बनाई गयी है जिसमें एमसीएल के 60 प्रतिशत शेयर, जेएसडब्ल्यू स्टील लि. तथा जेएसडब्ल्यू इनर्जी लि. प्रत्येक के 11 प्रतिशत शेयर तथा श्याम मेटालिक्स एंड इनर्जी लि. (पहले श्याम डीआरआई पावर लि. के नाम से जानी जाती थी) तथा जिंदल स्टेनलेस लि. प्रत्येक के 9 प्रतिशत शेयर हैं। 31.3.2012 को एमजेएसजे कोल लि. की प्रदत्त शेयर पूंजी 70.10 करोड़ रू. थी।

(ii) एमएनएच शक्ति लि.

एमएनएच शक्ति लि. का 16.7.2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन एमसीएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित और पंजीकरण किया गया था। तालाबरिया ओसीपी के लिए एमएनएच शक्ति लि. का गठन किया गया है जिसमें एमसीएल के 70 प्रतिशत शेयर, नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लि. के 15 प्रतिशत शेयर तथा हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि. के 15 प्रतिशत शेयर हैं। एमएनएच शक्ति लि. की 31.3.2012 को शेयर पूंजी 8510 लाख रू. थी।

(iii) महानदी बेसिन पावर लि.

महानदी बेसिन पावर लि. महानदी कोलफील्ड लि. (एमसीएल) के विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी) के रूप में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसे 2.12.2011 को निगमित किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय मानचेश्वर रेलवे कालोनी, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर–7501017 है तथा इसे आरओसी द्वारा कार्य शुरू करने का प्रमाण–पत्र 6.2.2012 को जारी किया गया था।

यह कंपनी जिला सुन्दरगढ़ में प्रस्तावित 2x800 मे.वा. की क्षमता की सुपर संवेदनशील थर्मल विद्युत संयंत्र वाली विद्युत परियोजना का विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए एमसीएल की ओर से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी। प्रस्तावित परियोजना सफल बोलीदाता, एमसीएल और एमपीबीएल के बीच शेयर खरीद तथा शेयर

धारकों के बीच करार की शर्तों के अनुसार एसपीवी द्वारा संयुक्त उद्यम आधार पर निष्पादित की जाएगी। 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार महानदी बेसिन पावर लि. की शेयर पूंजी 5 लाख रूपए थी।

(III) इंटरनेशनल कोल वेन्चर्स लिमिटेड

इंटरनेशनल कोल वेन्चर्स लि.(आईसीवीएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 20 मई, 2009 को निगमित किया गया था। यह सेल, सीआईएल, आरआईएनएल, एनटीपीसी तथा एनएमडीसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें उनकी इक्विटी होल्डिंग क्रमशः 2:2:1:1:1 अनुपात में है। कोल इंडिया लि. ने आईसीवीएल से बाहर निकलने के विकल्प का निर्णय लिया है। तथापि, कोयला मंत्रालय के संदर्भ पर सीआईएल बोर्ड ने इस मामले पर चर्चा करने और इन्टरनेशनल कोल वेन्चर्स लि. में इसके बने रहने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का निर्णय लिया है।

(IV) बीईएमएल लि., सीआईएल तथा डीवीसी के साथ संयुक्त उद्यम

(मैसर्स एमएएमसी की परिसम्पतियों का अधिग्रहण तथा दुर्गापुर संयत्र में उपस्करों का उत्पादन आरंभ करने के लिए)

कर्न्सोटियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मैसर्स एमएएमसी के सभी प्रतिष्ठानों की परिसम्पतियों तथा संपतियों का कब्जा अधिकारिक परिसमापक से प्राप्त कर लिया है।

सीआईएल, डीवीसी तथा बीईएमएल लि. के बीच शेयर धारकों संबंधी करार सभी तीनों कंपनियों के बोर्डों के संकाय द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मौजूदा आवश्यकता के अनुसार रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (बीईएमएल का मूल मंत्रालय) से इस समय अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

फिलहाल प्रबंधन के अंतरिम बोर्ड के निर्णय के अनुसार बैंक योग्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एक समिति तैयार की जा रही है।

10.2.5 कोयला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लाभप्रदता

(करोड़ रु. में)

कंपनी	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 अप्रैल 12 से दिसं. 12
ईसीएल	(2105.70)	333.40	106.57	962.13	486.95
बीसीसीएल	(1376.99)	793.93	1093.69	822.36	976.83
सीसीएल	763.80	1533.05	1860.22	1970.24	1700.14
एनसीएल	3131.01	3766.30	3956.36	4265.67	3384.91
डब्ल्यूसीएल	516.12	931.02	1067.97	440.50	22062
एसईसीएल	1817.93	3063.57	3777.12	6002.87	4940.33
एमसीएल	2580.25	2953.90	4039.30	5463.69	4539.62
सीएमपीडीआईएल	6.74	19.61	23.69	30.79	18.56
उप–कुल	5333.16	13394.78	15924.92	19958.25	16267.96
सीआईएल/एनईसी	3657.68	3870.4	4723.37	8599.95	7754.90
उप–कुल	8990.84	17265.18	20648.29	28558.25	24022.86

प्राप्त लाभांश	(3329.74)	(3367.36)	(4237.41)	(7307.20)	(6922.23)
कुल	**5661.10**	**13897.82**	**16410.88**	**21251.00**	**17100.63**
लंबित राजस्व आय का समायोजन	83.00	67.11	52.35	21.66	13.71
एकीकृत लेखा के अनुसार समग्र लाभ	5744.10	13964.93	16463.23	21272.66	17114.34

10.2.6 कोयला क्षेत्र में वेतन

स्थापना के समय से ही कोयला उद्योग के गैर–कार्यपालक संवर्ग के कर्मचारियों के सीमांत लाभों सहित वेतन संरचना और अन्य सेवाशर्तों को भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा द्विपक्षीय वेतन बातचीत द्वारा निपटाया जा रहा है। यह समिति कोयला उद्योग हेतु एक संयुक्त द्विपक्षीय समिति के रूप में कार्य कर रही है जिसमें 5 सेन्ट्रल ट्रेड यूनियनों तथा कोयला कंपनियों अर्थात सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि., टाटा आयरन तथा स्टील कंपनी एवं इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के प्रतिनिधि एनसीडब्ल्यूए– I से एनसीडब्ल्यूए – VI तक थे। तथापि एनसीडब्लूए – VII से एनसीडब्ल्यूए – IX में, कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों एवं सिंगरेनी कोलियरीज क.लि. ने भाग लिया है। राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एनसीडब्ल्यूए – IX) पर 31 जनवरी, 2012 को हस्ताक्षर किया गया है। एनसीडब्ल्यू – I से एनसीडब्ल्यूए – IX का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता एन.सी.डब्ल्यू.ए.)	जिस तारीख को हस्ताक्षर किए गए	समझौते की अवधि से	: तक	समझौते की समयावधि
एनसीडब्ल्यू–I	11.12.1974	1.1.1975	31.12.1978	4 वर्ष
एनसीडब्ल्यू–II	11.08.1979	1.1.1979	31.12.1982	4 वर्ष
एनसीडब्ल्यू–III	11.11.1983	1.1.1983	31.12.1986	4 वर्ष
एनसीडब्ल्यू–IV	27.07.1989	1.1.1987	30.06.1991	4 1/2 वर्ष
एनसीडब्ल्यू–V	19.01.1996	1.7.1991	30.06.1996	4 वर्ष
एनसीडब्ल्यू–VI	23.12.2000	1.7.1996	30.06.2001	4 वर्ष
एनसीडब्ल्यू–VII	15.07.2005	1.7.2001	30.06.2006	4 वर्ष
एनसीडब्ल्यू–VIII	24.01.2009	1.7.2006	30.06.2011	4 वर्ष
एनसीडब्ल्यू–IX	31.01.2012	1.7.2011	30.06.2016	4 वर्ष

एनसीडब्ल्यूए IX की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैः–

i) दिनांक 30.6.2011 को 100 प्रतिशत डीए के निप्रभावन के साथ कुल पारिश्रमिक पर 25 प्रतिशत की दर से न्यूनतम गारंटीशुदा लाभ(एमजीवी)

ii) न्यूनतम मूल वेतन को 8360 रू. प्रतिमाह (एनसीडब्ल्यूए VIII) से बढ़ाकर एनसीडब्ल्यूए IX में 15713 रू. प्रतिमाह किया गया।

iii) वार्षिक वेतन वृद्धि प्रगामी आधार पर 3 प्रतिशत की दर से देय होगी।

iv) मौजूदा भत्ते, जिनका भुगतान एनसीडब्ल्यूए VIII में प्रतिशत के रूप में किया जा रहा है, का भुगतान 1.2.2012 से एनसीडब्ल्यूए IX में उसी प्रतिशत में किया जाएगा।

v) मौजूदा भत्ते, जिनका भुगतान एनसीडब्ल्यूए VIII में पूर्ण राशि के रूप में किया जा रहा है, का भुगतान 1.2.2012 से मौजूदा राशि पर 88 प्रतिशत की वृद्धि करके किया जाएगा।

vi) शहरी क्षेत्र को छोड़कर अर्थात कोलफील्ड् क्षेत्र के लिए मकान किराया भत्ता 1.2.2012 से संशोधित मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से ।

vii) संशोधित मूल वेतन का 4 प्रतिशत की दर से विशेष भत्ता लागू किया गया।

10.2.7 जनशक्ति

सीआईएल की सहायक कंपनियों सहित इसकी कुल जनशक्ति 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 361348 है। जनशक्ति की कंपनी–वार स्थिति नीचे दी गई है :–

कंपनी	2010–11 (31.03.2011 के अनुसार)	2011–12 (31.03.2011 के अनुसार)	2012–13 (31.03.2011 के अनुसार)
ईसीएल	81,128	78,009	74,963
बीसीसीएल	67,934	64,884	62,691
सीसीएल	52,285	50,026	48,668
डब्ल्यूसीएल	59,043	56,989	55,461
एसईसीएल	78,009	76,078	74,311
एमसीएल	21,425	22,023	22,039
एनसीएल	16,209	16,329	16,204
एनईसी	2,622	2,538	2,412
सीएमपीडीआईएल	3,102	3,129	3,098
डीसीसी	582	562	556
सीआईएल (मुख्या.)	1,008	979	945
कुल	**397138**	**3,71,546**	**3,61,348**

10.2.8 औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों में औद्योगिक संबंध का परिदृश्य सौहार्दपूर्ण रहा। विभिन्न स्तरों पर कार्यरत ट्रेड यूनियनों के साथ नियमित संरचनाबद्ध बैठकें हुई।

10.2.9 प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी

सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों में बातचीत एवं वेतन तथा सेवा शर्तों से संबंधित मसलों, रोजगार, सुरक्षा, शिकायतों, कल्याण आदि से संबंधित मामलों का समाधान निकालने के लिए प्रबंधन और 5 सेन्ट्रल ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक सुस्थापित द्विपक्षीय मंच है। विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित संयुक्त द्विपक्षीय मंच कार्य कर रहे हैं :

1. सीआईएल में जेबीसीसीआई
2. शीर्ष परामर्शदात्री समिति
3. सुरक्षा बोर्ड / सुरक्षा समिति
4. कल्याण बोर्ड / / कल्याण समिति
5. संयुक्त परामर्शदात्री समिति
6. औद्योगिक संबंध बैठकें (यूनियन के साथ संरचनात्मक बैठकें)

हड़ताल और बंदः

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (दिस. 12 तक)
हड़तालों की संख्या	6+1*	22**	3+3*	शून्य	2 +2*	1+1*	0 +1*
कार्य दिवसों की हानि	127703	23823	196707	शून्य	246899	192383	शून्य
उत्पादन में हानि (टन में)	193423	95477	239983	शून्य	510291	97094542	शून्य

* औ.ह. =औद्योगिक हड़ताल ** बं.बं. = बंगाल बंद

10.2.10 कर्मचारी कल्याण योजनाएं

कोयला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कल्याणकारी क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य उसके कर्मचारियों एवं उनके परिवारों का कल्याण करना है। ये कंपनियां अपने कामगारों के कल्याण पर बहुत अधिक ध्यान दे रही हैं। कोयला खनिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अपनत्व की भावना जगाने तथा कार्य में शामिल करने के उद्देश्य से प्रबंधन द्वारा आवास, चिकित्सा, शैक्षिक सुविधाओं आदि को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कल्याणकारी उपायों के परिणाम निम्नवत हैं :—

10.2.10.1 आवास

राष्ट्रीयकरण के समय कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कमानियों में घटिया आवासों सहित केवल 1,18,366 मकान थे। इन मकानों की उपलब्धता बढ़कर 3,99,311 (31.12.2012 तक) हो गयी है। आवास की संतोषप्रदता की प्रतिशतता अब 100 प्रतिशत हो गई है।

कोलफील्ड में खनिकों के लिए आवास कालोनी

10.2.10.2 जलापूर्ति

कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों के क्षेत्रों में 1973 में राष्ट्रीयकरण के समय 2.27 लाख आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होता था। इस समय 21,16,923 लाख (31.12.2012 तक) की आबादी को जलापूर्ति योजना के अधीन शामिल कर लिया गया है।

10.2.10.3 चिकित्सा सुविधाएं

कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियां कोयला क्षेत्रों के विभिन्न भागों में औषधालय स्तर से लेकर केंद्रीय तथा शीर्षस्थ अस्पतालों तक विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं।

कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए सीआईएल तथा इसकी कंपनियों में 5806 बिस्तरों वाले 85 अस्पताल, 424 औषधालय, 664 रोगी–वाहन, विशेषज्ञों सहित 1419 चिकित्सक हैं। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को स्वदेशी पद्धति की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीआईएल की सहायक कंपनियों में 11 आयुर्वेदिक औषधालय भी चलाए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेशेवर स्वास्थ्य और एचआईवी/एआईडीएस जागरूकता कार्यक्रम पर भी विशेष बल दिया गया है।

सहायक कंपनियों के मुख्यालय में कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लिए आधुनिक केंद्रीय अस्पताल

10.2.10.4 शैक्षिक सुविधाएं

शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुख्य दायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, सीआईएल की सहायक कंपनियां कुछ स्कूलों जैसे डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल आदि को वित्तीय सहायता और अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है तथा अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को भी कभी–कभी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के भाग के रूप में कोयला क्षेत्रों में तथा उसके आस–पास चल रहे कुछ निजी प्रबंधन वाले स्कूलों को भी सहायक कोयला कंपनियां सहायता अनुदान/ अवसंरचनात्मक सुविधाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक सुविधाओं के भाग के रूप में कोल इंडिया ने कर्मचारियों के आश्रितों को स्कीम के अनुसार निम्न प्रकार की छात्रवृतियां प्रदान की हैं।

(i) कोल इंडिया छात्रवृत्ति योजना (संशोधित – 2001)

कोल इंडिया लि. के कर्मचारियों के पुत्रों एवं पुत्रियों का उत्साह बढ़ाने के लिए निम्न प्रकार की दो छात्रवृत्ति नामतः मेरिट और जनरल स्कालरशिप प्रति वर्ष निर्धारित शर्तों पर प्रदान की जा रही है:–

मेरिट छात्रवृत्ति :

केवल उन छात्रों के लिए अनुमेय है जिन्होंने किसी भी राज्य के बोर्ड से माध्यमिक/हायर सेकंडरी में पहली से बीसवीं पोजिशन हासिल की हो या जहां मेरिट की घोषणा की गई हो तो आईसीएसई/सीबीएसई/आईएससी (कक्षा 10 और 12) में 95 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।

सामान्य छात्रवृत्ति:

कक्षा 5 से आगे स्नातक/परा–स्नातक स्तर तक किसी भी विषय में पढ़ रहे छात्रों के लिए अंकों की निर्धारित प्रतिशतता के अधीन अनुमेय है।

(ii) नकद इनाम तथा प्रशंसा प्रमाणपत्र

कोल इंडिया लि. के कर्मचारियों के मेधावी आश्रितों को प्रतिवर्ष, जिन्होंने बोर्ड स्तर परीक्षा में दसवीं और बारहवीं कक्षा में कुल 90 प्रतिशत अंक हासिल किए हो, क्रमशः 5000/–रू. और 7000/–रू. का नकद इनाम दिया जाता है।

(iii) सरकारी इंजीनियरिंग और सरकारी मेडिकल कालेजों में अध्ययन करे रहे वेतन बोर्ड के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क और हास्टल शुल्क की प्रतिपूर्ति, जिनका कैम्पस चयन के लिए सीआईएल द्वारा चयन किया गया है।

तकनीकी और मेडिकल शिक्षा की ऊंची लागत को देखते हुए कोल इंडिया लि. वेतन बोर्ड कर्मचारियों के आश्रित बच्चों, जो ऐसे कालेजें अर्थात आईआईटी, एनआईटी, आईएसएम आदि जिन्हें कोल इंडिया लि. ने कैम्पस चयन के लिये सूचीबद्ध किया है, में दाखिला लेने के लिये केवल शिक्षा तथा हास्टल प्रभारों के रूप में शिक्षा की लागत वहन करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। शैक्षणिक सत्र 2009–10 से सरकार मेडिकल कालेजें में दाखिला लेने के लिये भी आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(iv) गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के 100 छात्रों तथा भूवंचिती/विस्थापित व्यक्तियों के 25 आश्रितों को आईआईटी, एनआईटी तथा अन्य चुनिंदा सरकारी इंजीनियरिग कालेजें और केन्द्र सरकार के मेडिकल कालेजें (एमबीबीएस कोर्स) में डिग्री कोर्स (स्नातक कोर्स) की पढाई के लिए कोल इंडिया स्कालरशिप का भुगतान।

10.2.10.5 सांविधिक कल्याणकारी उपाय

खान अधिनियम 1952 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियां कोयला खनिकों हेतु कैंटीन, विश्राम गृह और पिट हैड स्नान गृह आदि जैसी अनेक सांविधिक कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं।

10.2.10.6 गैर–सांविधिक कल्याणकारी उपाय :

को–आपरेटिव स्टोर तथा क्रेडिट सोसायटी :

कोलियरियों में सस्ती दर पर आवश्यक वस्तुएं तथा उपभोक्ता सामग्री की आपूर्ति करने के लिए सीआईएल के कोलफील्ड्स क्षेत्रों में केंद्रीय सहकारी समितियां तथा प्राथमिक सहकारी स्टोर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, कोयला कंपनियों में सहकारी ऋण समितियां भी कार्य कर रही हैं।

10.2.10.7 बैंकिंग सुविधाएं :

कोयला कंपनियों का प्रबंधन अपने कामगारों के लाभ के लिए कोयला क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं और विस्तार काउंटर खोलने के लिए उन्हें अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। श्रमिकों को 463 बैंकों/विस्तार काउन्टरों के माध्यम से अपना वेतन प्राप्त करने के लिए शिक्षित किया जाता है और उन्हें अपने परिवार के फायदे के लिए किफायत बरतने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

10.2.10.8 कार्यपालक के लिए सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई)

सीआईएल के निदेशक बोर्ड ने 18.09.2012 को हुई अपनी 289वीं बैठक में 25 अप्रैल, 2008 के सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों के कार्यपालक के लिए सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई) में संशोधन / परिवर्द्धन अनुमोदित किए हैं।

धारा 6.1 के अनुसार बाह्य रोगी/आवासीय उपचार का भुगतान 01.01.2013 से प्रभावी होगा। 01.07.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के लिए बाह्य रोगी/आवासीय उपचार का भुगतान पूर्व–संशोधित दरों के अनुसार होगा।

सीपीआरएमएसई के अनुसार अस्पताल में भर्ती (अंतरंग उपचार) के लिए प्रभारों की प्रतिपूर्ति को तत्काल से 25 लाख रूपए अथवा 12.5 लाख रूपए, जैसा भी मामला हो, बढ़ा दिया गया है। योजना की धारा 3.2.1(घ) में उल्लिखित बीमारियों के लिए कोई सीमा नहीं होगी जिसे 25 लाख रूपए अथवा 12.5 लाख रूपए जैसा भी मामला हो, के प्रति नहीं गिना जाएगा। अब तक 1494 सीपीआरएमएसई कार्ड जारी किए गए हैं।

सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों के कार्यलपाकों के लिए संशोधित सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा योजना को वेबसाइट www.coalindia.in में प्रकाशित किया गया है।

10.2.10.9 कोल इंडिया लि. की पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास (आर एंड आर) नीति

कोल इंडिया की आर एंड आर नीति सर्वप्रथम 1994 में तैयार की गई थी और संशोधन के साथ समय–समय पर प्रचालन में रही है। 2000 से प्रचालित आर एंड आर नीति को 2004 तथा 2008 में फिर संशोधित किया गया है। आर एंड आर नीति को अधिक उदार बनाने और कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों को अधिक लचीला बनाने और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भू–वंचितों को बहु विकल्प देने के उद्देश्य से 13.02.2012 से सीआईएल की संशोधित आर एंड आर नीति, 2012 तैयार की गई है।

इस नीति की कुछ विशेषताएं जो आदिवासी सहित विस्थापित परिवारों को प्रदान की गई हैं, इस प्रकार हैः–

1. संबंधित अधिनियम के प्रावधानों अथवा राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू–वंचितों को भूमि मुआवजा दिया जाता है। भू–वंचितों को मुआवजा तथा बढ़ोतरी संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए अनुसार भुगतान किया जाता है।

2. प्रत्येक दो एकड़ भूमि के बदले भू–वंचितों को रोजगार दिया जाता है। सभी भू–वंचितों जो उपरोक्त के अनुसार

रोजगार के लिए पात्र नहीं हैं, वह रोजगार के बदले यथानुपात में भूमि के प्रत्येक एकड़ के बदले 5 लाख रूपए की दर से वित्तीय मुआवजा प्राप्त करने के पात्र है।

3. वैकल्पिक आवास स्थल, डिजायनिंग में सहायता, स्थानान्तरण भत्ता, पशु शैड का मुआवजा, वर्क शैड के निर्माण के लिए मौद्रिक मुआवजे आदि के बदले, एक बार 3 लाख रूपए का एकमुश्त भुगतान किया जाता है।

4. प्रत्येक प्रभावित परिवार एक वर्ष के लिए 25 दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी की दर से गुजारा भत्ते प्राप्त करता है।

5. कोयला कंपनियां परियोजना प्रभावित लोगों को अवसंरचना, छोटे–मोटे ठेकों अथवा सहकारी समितियों के गठन के माध्यम से गैर–कृषि स्व–रोजगार की स्थापना करने तथा ठेकेदारों के साथ कार्यों के प्रावधानों को प्रोत्साहित करने में सहायता करती हैं। ठेकेदारों को वरीयता आधार पर परियोजना प्रभावित लोगों को काम देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

6. जहां तक संभव होता है, कोयला कंपनियां जनजातीय समुदाय को एक यूनिट के रूप में स्थानांतरित करती हैं और जनजातीय समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं ताकि वे अपनी अद्वितीय पहचान कायम करने की अनुमति दें।

7. रूढ़ीवादी अधिकार की हानि अथवा वन उत्पादों के उपयोग की हानि के लिए प्रभावित जनजातीय परिवारों को 500 दिनों की एक बार की वित्तीय सहायता दी जाती है।

8. जिले से बाहर बसे प्रभावित जनजातीय परिवारों को 25 प्रतिशत अधिक पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन स्थल, स्कूल, स्ट्रीट लाईट के साथ सड़क, पक्का नाला, तालाब खुदा हुआ कुंआ तथा/अथवा पेय जल के लिए ट्यूबर कुंआ, सामाजिक केन्द्र, पूजा का स्थान, डिस्पेंसरी, जानवरों के लिए चारागाह और खेल का मैदान दिया जाएगा।

9. परियोजना प्रभावित परिवारों तथा मेजबान जनसंख्या सहित पुनर्वास कालोनियों के सभी निवासियों को सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

10. सामुदायिक सुविधाओं के प्रचालन का दृष्टिकोण नमनीय है और इन सुविधाओं के प्रचालन के लिए राज्य एवं स्थानीय स्व–शासन/पंचायत को शामिल करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। प्रभावित समुदाय के परामर्श से सामुदायिक सुविधाओं की आयोजना तथा उनका निर्माण किया जाता है।

10.3. नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.(एलएलसी) को 14 नवम्बर, 1956 में कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 20 मई, 1957 को खान –1 में खनन प्रचालनों का औपचारिक रूप से

उद्घाटन किया गया था। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को अप्रैल, 2011 से " नवरत्न " का दर्जा प्रदान किया गया है।

एनएलसी इस समय चार ओपन कास्ट लिग्नाइट खान अर्थात तमिलनाडु राज्य में खान I, खान I, तथा खान II और राजस्थान राज्य में बरसिंगसर खान जिनकी कुल क्षमता 30.6 एमटीपीए है और 2740 मे.वा. क्षमता के चार तापीय विद्युत स्टेशन नामतः तमिलनाडु में टीपीएस – I एवं टीपीएस – I विस्तार तथा टीपीएस –II और राजस्थान राज्य में बरसिंगसर टीपीएस है।

नेयवेली में टीपीए –II (500 मे.वा.) विस्तार तथा कोयला आधारित एनटीपीएल (1000 मे.वा.) कार्यान्वयन के अधीन है।

एनएलसी की सभी खानों और विद्युत स्टेशनों को गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति, पर्यावरणीय प्रबंधन पद्धति एवं व्यवसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन पद्धति के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है।

10.3.1 प्राधिकृत पूंजी :

एनएलसी की प्राधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रू. तथा प्रदत्त इक्विटी 1677.71 करोड़ रू. है। 31.12.2012 तक भारत सरकार द्वारा किया गया निवेश निम्नवत् है :

इक्विटी	(भारत सरकार का भाग : 1569 .64
भारत सरकार से ऋण (उपार्जित ब्याज सहित)	शून्य भारत सरकार से ऋण

10.3.2 उत्पादन कार्य – निष्पादन

वर्ष 2012–13 के दौरान दिसम्बर, 2012 के अंत तक ओवर बर्डन को हटाने, लिग्नाइट उत्पादन, सकल विद्युत उत्पादन तथा इसके निर्यात और जनवरी, 2013 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए अनन्तिम नीचे दर्शाया गया है :–

उत्पाद	इकाई	ब.प्रा. 2012–13	अप्रैल,12 से दिस.12		जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए अनंतिम
			लक्ष्य	वास्तविक	
ओवरबर्डन	एमएम3	1533.00	1109.50	1195.92	423.85
लिग्नाइट	एमटी	248.00	178.50	185.14	69.50
विद्युत सकल	एमयू	18600.00	13257.00	14323.89	5343.00
विद्युत निर्यात	एमयू	15430.00	10978.00	12084.79	4452.00

10.3.3 उत्पादकता

2011–12 और 2012–13 में दिसम्बर, 2012 के अंत तक उत्पादकता का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है :–

(क). उत्पादन प्रति श्रमपाली (ओएमएस)

यूनिट		2011-12	2012-13 (अप्रैल,12 से दिस.12)	
		वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
खान	टन	11.18	9.44	11.14
थर्मल	किवा./घंटा	20130	15255	20391

(ख) संयंत्र लोड फैक्टर

2011–12 के दौरान और 2012–13 में दिसम्बर, 2012 के अंत तक टीपीएस–1, टीपीएस–1 विस्तार तथा टीपीएस – 2 द्वारा प्राप्त किया गया प्लांट लोड फैक्टर इस प्रकार है।

यूनिट	2011-12	2012-13 (अप्रैल, 12 से दिस. 12)	
	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
टीपीएस–I	75.67	69.47	71.64
टीपीएस–II	82.47	72.18	84.30
टीपीएस–III	85.87	76.41	86.60

10.3.4 वित्तीय कार्य – निष्पादन

एनएलसी 1976–77 से लाभ कमा रही है। वर्ष 2011–12 के दौरान निगम ने 1983.89 करोड़ रू. का कर – पूर्व लाभ कमाया। निगम ने 2012–13 (नवम्बर, 12 तक) के दौरान 951.42 करोड़ रू. (अनंतिम) तथा दिसम्बर,12 से मार्च, 13 तक 341.33 करोड़ रू. का अनंतिम कर–पूर्व लाभ अर्जित किया है। 31.3.2011 के अनुसार भंडार तथा अधिशेष 9496.82 करोड़ रू. था एनएलसी ने वर्ष 2011–12 हेतु 28 प्रतिशत लाभांश का भुगतान किया है जो वर्ष 2011–12 के लिए वितरण कर सहित 545.97 रू. है। बिक्री टर्न–ओवर 2010–2011 के दौरान 4295.95 करोड़ रू. (पूर्व समायोजन सहित) की तुलना में 2011–12 में 4866.85 करोड़ रू. था। पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 2812.51 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2012–13 (नवम्बर, 12 तक) के दौरान बिक्री टर्न – ओवर 3448.20 करोड़ रू. (अनंतिम) था तथा दिसम्बर, 2011 से मार्च , 2012 तक की अवधि के लिए 1301.32 करोड़ रू. (अनंतिम) था। वर्ष 2012–13 (नवम्बर, 2012 तक) के दौरान उत्पाद –वार बिक्री निम्नवत है:–

उत्पाद	बिक्री (अनंतिम) (करोड़ रु. में)
लिग्नाइट	3131.59
विद्युत	310.98
अन्य	11.41
उत्पाद शुल्क	5.78
कुल	3448.20

10.3.5 जनशक्ति

31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार एनएलसी की कुल जनशक्ति नीचे दी गई है :

श्रेणी	तकनीकी	गैर–तकनीकी	कुल
कार्यपालक	3576	699	4275
गैर–कार्यपालक	4579	3514	8093
कामगार	485	4642	5127
कुल	8640	8855	17495

10.3.6 औद्योगिक संबंध

अप्रैल से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध कुल मिलाकर सुव्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण रहे। तथापि, 2012–13 की पहली तिमाही में ठेकेदार के कामगार 45 दिनों की अवधि के लिए हड़ताल पर गए।

10.3.7 कर्मचारियों का कल्याण

कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित शीर्षों के तहत कल्याणकारी उपाय किए गए हैं:–

- कर्मचारियों को 100 प्रतिशत मकान ;
- सब्सिडाइज्ड कैन्टीन सुविधाएं तथा वर्दी / जूते;
- स्कूली छात्रों के लिए मेरिट छात्रवृत्तियां;
- अ.जा. / अ.ज.जाति छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां;

- सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना;
- उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए विशेष वेतनवृद्धि;
- लम्बी सेवा पुरस्कार;
- विवाह और अधिवर्षिता उपहार;
- कर्मचारियों और उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार;
- सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ योजना;
- मृत्यु राहत योजना।

10.3.8 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. की पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) नीति

इस पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति (आरएपी) के कार्यान्वयन को समाप्त कर दिया गया है तथा उसके स्थान पर भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 31.10.07 को प्रकाशित तथा तमिलनाडु सरकार के निदेशानुसार राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 (एनआरआरपी 2007) प्रतिस्थापित कर दी गई है।

तदनुसार, एनएलसी प्रभावित व्यक्तियों पर दुप्रभाव को न्यूनतम करने के उद्देश्य से और परियोजना से प्रभावित जनसंख्या के लाभ के लिए चल रही परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति, 2007 को कतिपय बढ़ोतरी के साथ अनुपालन कर रही है। पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास उपायों का कार्यान्वयन पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक के निदेशानुसार किया जा रहा है। एनएलसी क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक विशिष्ट योजना के माध्यम से परिधीय गांवों में पूंजीगत कार्यों को भी करती है।

10.3.9 भावी योजनाएं

एनएलसी ने एक प्रमुख लिग्नाइट खनन तथा विद्युत कंपनी के अपने प्रयास में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं :

1. बिथनोक खान के साथ (2.25 मि.ट. प्रति वर्ष) बिथनोक लिग्नाइट तापीय विद्युत स्टेशन (1 x 250 मे.वा.)।
2. 2.5 मि.ट. प्रतिवर्ष हदला और पलना लिग्नाइट खानों के साथ बरसिंगसर तापीय विद्युत केन्द्र विस्तार (1 x 250 मे.वा.)।
3. एनएलसी तथा यूपीआरवीयूनएनएल द्वारा उत्तर प्रदेश में संयुक्त उद्यम कोयला आधारित घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन (3 x 660 मे.वा.)।
4. 10 मे.वा. सौर पीवी परियोजना
5. तमिलनाडु में तटीय " सिरकाली थर्मल पावर परियोजना (3 x 660 मे.वा.)

10.4 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

10.4.1 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. आंध्र प्रदेश सरकार का एक राज्य उद्यम है जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार की क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी पूंजी धारिता है।

10.4.2 कोयला उत्पादनः

(आंकड़े मिलियन टन में)

लक्ष्य 2012-13	लक्ष्य 2012–13 (दिस. 12 तक)	वास्तविक उत्पादन (दिस. 12 तक)
54.00	38.73	37.18

10.4.3 उत्पादकता :

2012–13 (अप्रैल 12 से दिस.12) के दौरान प्रति श्रमपाली उत्पादन 3.64 टन (अनंतिम) है जो 2011–12 की इसी अवधि के दौरान 3.65 टन थी।

	2012–13 (दिसं. 12 तक)	2011–12 (दिस. 11 तक)
प्रति श्रमपाली उत्पादन टन में	3.64	3.65

10.4.4 जनशक्ति

31.12.2012 की स्थिति के अनुसार एससीसीएल की नामावली में 2227 महिला कर्मचारियों सहित 65223 कर्मचारी हैं।

10.4.5. कर्मचारियों का कल्याण

एससीसीएल अपने कर्मचारियों को विशेषकर स्वास्थ्य, स्वच्छता,रिहायशी आवास, कामगारों के बच्चों को शिक्षा, जलापूर्ति, सड़कों के निर्माण, सूचना सेल के माध्यम से कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार लाना, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अलावा मनोरंजन की व्यवस्था के लिए खेल–कूद के क्षेत्रों में कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भरसक उपाय कर रही है।

एससीसीएल ने 2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान कल्याणकारी व्यय के लिए 38168 लाख रू.(अनंतिम) खर्च किए हैं।

10.4.6 औद्योगिक संबंध

वर्ष 2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक) में एससीसीएल में औद्योगिक संबंधों के परिदृश्य कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहे। 01.08.2012 को कामगारों के समूह के स्थानान्तरण के मसले पर मानगुरू के पीके–1 इन्क्लाइन क्षेत्र में 1 हड़ताल हुई हैं।

इस अवधि के दौरान एससीसीएल में कार्यरत ट्रेड यूनियनों के चुनाव 5वीं बार गुप्त मतदान के जरिए सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए।

प्रबंधन ने कंपनी स्तर पर मान्यताप्राप्त यूनियन और क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि यूनियन के साथ मामलों पर चर्चा करने हेतु तंत्र की व्यवस्था करने संबंधी सुस्पष्ट औद्योगिक संबंध नीति निर्धारित की हुई है।

वर्षों से सुधारों को लागू करके श्रमिक तथा प्रबंधन के बीच सुव्यस्थित सहयोग के जरिए सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम रखे गए जिसके परिणामस्वरूप लागतो में कमी लाने, उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने और समग्र जीवन की गुणवता में सुरक्षा एवं बेहतरी में योगदान मिला।

इन सभी उपायों ने हड़तालों की संख्या में कमी करने हेतु योगदान दिया है जैसा कि निम्नलिखित ब्यौरों से देखा जा सकता है :–

क्र. सं.	वर्ष	हड़तालों की संख्या	श्रमदिवस की हानि	उत्पादन की हानि (टन में)
1	2002-03	35	16,30,798	6,47,426
2	2003-04	15	1,02,942	1,21,647
3	2004-05	14	91,818	57,499
4	2005-06	11	2,40,403	1,10,189
5	2006-07	03	5,587	9,872
6	2007-08	शून्य	शून्य	शून्य
7	2008-09	02	23,065	19,072
8	2009-10	02	1,430	4,893
9	2010-11	02	1,68,760	4,22,984
10	**2011-12**	**05**	**16,28,931**	**40,11,353**
11	2012–13 (दिसं., 2012 तक)	**1**	**445**	**442**